भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2924

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण होने वाला नुकसान

2924. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों को जना-माल, पशुधन और फसलों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार देश में बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई डाटा तैयार कर रही है भले ही मृतको के पोस्टमार्टम किया गया हो या नहीं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ के कारण लोगों को हुए जान-माल, पशुधन और फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान किया गया है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान और प्रदान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में प्रयासों में सहयोग तथा अपेक्षित लोजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार बाढ़ के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार राज्य स्तर पर स्थापित राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के माध्यम के राहत सहायता उपलब्ध कराती है। भीषण आपदा के मामले में, निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिसमें गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित का कार्य आकलन भी शामिल होता है, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ङ)और (च): मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं। हालांकि, बाढ़ से हुई क्षति के राज्य-वार आंकडों का संकलन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संबंधित राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय जल आयोग ने हाल ही (2024) में 'बाढ़ क्षति सांख्यिकी (1953-2022) रिपोर्ट' (रिपोर्ट ऑन फ्लड डेमेज स्टेटिक्स (1953-2022) प्रकाशित की है, जिसमें बाढ़ के कारण मृत लोगों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान बाढ़ के कारण देश में क्रमशः 1474, 1371 और 1673 लोगों की मृत्यु की जानकारी दी गई है।

*****

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण होने वाला नुकसान" के संबंध में दिनांक 08.08.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2924 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान और क्षतिपूर्ति का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	रिपोर्टाधीन मामलों की संख्या	अनुमोदित क्षतिपूर्ति की संख्या
1	मृतक	0	0
2	सम्पत्ति	585	585
3	पशुधन	0	0
4	व्यापक फसल क्षति	88546	66885 शेष 21661 किसानों को मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

*****